"Examination of the working of similar institutions/authorities in selected countries..." Why do you want to follow the American or European or Japanese system for creating a regulator? It is not required. You do not have to go in for a new regulator. It can be very well done by the TRAI. Why are you assigning it to others?

श्री सभापति: बस, खत्म करिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय सभापति महोदय, उठाए गए पूरक प्रश्नों के आलोक में एक बात स्पष्ट है कि डी॰डी॰ए॰ में रेग्यूलेटर हो या न हो इसके बारे में ही सदन बंटा हुआ है। कई लोगों ने कहा है कि जल्दी लाइए और यह कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता है। सर, सरकार का इसमें ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: ज्यादा लोगों ने यह कहा है कि जल्दी लाइए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय सभापति महोदय, सरकार का बहुत ही सुविचारित मत है कि जिस प्रकार से ब्रोडकास्टिंग का क्षेत्र व्यापक हो रहा है एक रेग्यूलेटर की आवश्यकता है। लेकिन मैंने आरम्भ में बताया तथा मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं कि कंवर्जन कमीशन के बिल में एक कॉमन रेग्यूलेटर का प्रावधान है। उसके बारे में एक सुविचारित निर्णय करना है जिसके लिए बहस की परम्परा चल रही है। हमने अमेरिका और इंग्लैंड का कोई फोलोअप करने का निर्णय नहीं किया है। लेकिन जब हम कोई अच्छी चीज लाना चाहते हैं तो विश्व में वह कैसे चल रहा है, भारत की परिस्थितियों के आलोक में हम उनका अनुसरण किस प्रकार से कर सकते हैं और भारत के अपने उदाहरण को और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसके लिए अगर कोई हम कम्पेरेटिव स्टडी करते हैं तो अपने आप में गलत बात तो नहीं होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सुधार

*105. **श्री लाजपत राय:**††
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी॰डी॰ए॰) ने अपनी नीति, कार्यकरण और ढांचे में व्यापक सुधार के लिए सुझाव देने का कार्य एक व्यावसायिक संस्था को सौंपा है; और

---

†† सभा में यह प्रश्न श्री लाजपत राय द्वारा पूछा गया।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संस्था का नाम क्या है और यह अपना प्रतिवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण को कब तक प्रस्तुत कर देगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी]:

(क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी॰डी॰ए॰) ने निम्नलिखित विचारणीय विषयों के संबंध में एक अध्ययन करने का कार्य मैसर्स आई॰सी॰आर॰ए॰ एडवाइजरी सर्विसेज को सौंपा है:-

(1) पारदर्शिता तथा उपभोक्ता के अनुकूल प्रचालन प्रक्रियाओं जैसे कारकों के समूह (सेट) की पहचान करना जो डी॰डी॰ए॰ जैसे संस्थान की विश्वसनीयता बनाने में योगदान करते हैं।

(2) डी॰डी॰ए॰ की विभिन्न गतिविधियों, यथा

- भूमि का विकास, आबंटन तथा निपटान
- रिहायशी तथा वाणिज्यिक परिसर बनाना तथा बाद में उनका सौदा और
- भवन योजनाओं तथा सम्बद्ध नियतकालिक गतिविधियों की मंजूरी की प्रचालन प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना

(3) जनता तथा अन्य हितबद्धों (स्टेकहोल्डर्स) की डी॰डी॰ए॰ से उम्मीदों के बारे में उनसे जानकारी (फीड बैक) प्राप्त करना

(4) डी॰डी॰ए॰ की वर्तमान छवि को बनाने वाले विशेष कारणों को निर्धारित करना

(5) डी॰डी॰ए॰ की छवि तथा विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित के संदर्भ में नीतियों की सिफारिश करना

- डी॰डी॰ए॰ चार्टर की सीमा में नीतिगत स्तर पर बदलाव
- इसके प्रचालन प्रक्रियाओं का पुनर्गठन
- संगठन के ढांचे में बदलाव
- ग्राहक से सम्पर्क करने वाले कर्मियों (कस्टमर इंटरफेस मैनपावर) का प्रशिक्षण; और

- प्रभावी जन सम्पर्क अभियान।

(6) अध्ययन के कार्यक्षेत्र के लिए प्रासंगिक या उससे संबंधित कोई अन्य मुद्दा।

इस अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि अगस्त, 2003 के अंत में है।

Reforms in DDA

†*105. SHRI LAJPAT RAI:††
SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority (DDA) has assigned a professional institutions with the task of providing suggestions regarding comprehensive reforms in its policy, working and structure; and

(b) if so, the details thereof and the name of the institution and by when it wold submit its report to DDA?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION [MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI]: (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) The Delhi Development Authority has entrusted M/s ICRA Advisory Services with the task of conducting a study with the following terms of reference:

(1) To identify the total set of factors, which contribute to building credibility of an institution like DDA such as transparency and customer friendly oprating processes.

(2) To analyze the operating processes of DDA for its various activities such as—

— Developing land, allotment and disposal

— Building residential and commercial complexes and their subsequent transaction; and

— Sanction of building plans and associated periodic activities.

†Original notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lajpat Rai.

(3) To obtain feedback from public and other stakeholders on their expectations from DDA.

(4) To determine the reasons specific to DDA, which have led to its present image.

(5) To recommend strategies to improve the image and credibility of DDA in the form of

— Policy level changes within the purview of DDA charter,

— Re-engineering of its operating processes,

— Changes in organisation structure,

— Training of customer interface manpower; and

— Effective public relations exercise.

(6) Any other matter incidental or related to the scope of the study.

The scheduled date of submission of the final report of this study is end of August, 2003.

श्री लाजपत राय: सर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे प्रयास पिछले 5 साल में भी किए गए और अगर किए गए तो उनके इम्प्लीमेंटेशन का स्टेट्स क्या है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: माननीय सभापति जी, डी॰डी॰ए॰ के सुधार के बारे में प्रयास लम्बे समय से चल रहे हैं और अभी तक जो प्रयास हुए हैं वे इस प्रकार हैं। 1984-85 में एस्टीमेट कमेटी ने यह सजेशन दिया था कि डी॰डी॰ए॰ के कामकाज में सुधार हो और उसके बारे में यह काम एक टाटा कंसल्टेंसी कमेटी को दिया गया था और 1996 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर कुछ सिफारिशें दी थी। उसके बाद अगली जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में अगर विस्तार से चर्चा देनी होगी तो मैं दे दूंगा। लेकिन उसके आगे जो हुई उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने 1987 में सरकारिया कमीशन लगाई थी। वह सिर्फ डी॰डी॰ए॰ के लिए नहीं थी बल्कि पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए किस प्रकार से प्रशासन को अलग-अलग क्षेत्रों में किस प्रकार सुधारा जा सकता है उसमें डी॰डी॰ए॰ भी एक हिस्सा था और कुछ सलाह डी॰डी॰ए॰ के बारे में भी दी गई थी। लेकिन होम मिनिस्ट्री की थी और पूर्ण प्रदेश दिल्ली के बारे में थी। अगला जो डी.डी.ए. के सुधार के बारे में आया वह माननीय प्रधान मंत्री जी ने 8 अक्तूबर, 2001 को भी अरबन डवलपमेंट मिनिस्ट्री को लिखा कि डी॰डी॰ए॰ के सुधार की आवश्यकता है और उसमें कुछ शिकायतें और भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके बारे में देखना चाहिए और ठीक करना चाहिए। उसके आधार पर कुछ सुधार डी॰डी॰ए॰ में किए गए और उसके बाद अब हाल का जो वाकया हुआ है उसके बाद एक कमेटी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को यह काम दिया गया है जिसके टर्म्स और रिफ्रेंस जवाब में दे दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट अगस्त तक आनी चाहिए। ड्राफ्ट

रिपोर्ट आ चुकी है और उसके आधार पर आगे के जो सुधार होंगे वह डी॰डी॰ए॰ में किए जाएंगे।

श्री लाजपत राय: सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है कि ऐसे प्रयास पिछले 5 साल में किए गए। लेकिन उनका कोई फल नहीं निकला। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जब डी॰डी॰ए॰ के अफसर भी ससपिशन में हैं कंडक्ट के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में, तो क्या भारत सरकार इस मामले को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करना चाहती है? हस्तक्षेप करेगी तभी काम बनेगा नहीं तो इस तरह की कमेटियां बनती रहेंगी, आती रहेंगी और उनका कोई भी रिफार्म नहीं होगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: माननीय सभापति जी, कुछ सुधार अवश्य हुए हैं, ऐसा नहीं है तथा मैं मानता हूं कि पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुए। लेकिन कुछ सुधार खास कर जो प्रधानमंत्री जी ने अक्तूबर, 2001 में एक आदेश दिया था तथा चिंता जाहिर की थी। उसके बाद जो कुछ काम हुआ मैं उनकी सूची आपको बतलाता हूं। कम्प्यूटराइज ड्रॉ आफ लॉट शुरू किया गया था और जब ड्रॉ होती तो उसमें तीन बाहर के लोग जजेज हैं और सब लोगों के सामने हुआ। दूसरी बात यह है कि ड्रॉ का जो रिजल्ट है वह वेवसाइट के ऊपर उसी दिन रखा जाता है ताकि लोग उसको जान सकें कि ड्रॉ का नतीजा क्या है। तीसरा काम जो हुआ है अक्तूबर के बाद कि लोगों को चिटिठयां आती हैं, यह उनकी शिकायत थी कि चिटिठयां आती हैं जवाब नहीं दिए जाते। तो एक हफ्ते के अंदर उसके बाद जवाब देने की व्यवस्था डी॰डी॰ए॰ ने की। इसके अलावा डी॰डी॰ए॰ ने काउंसिलर की भी व्यवस्था की है। जिन लोगों को शिकायत होती है उनके लिए एक स्थान पर काउंसिलर बैठते हैं। लोग उनके पास आकर उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं। इसी प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था डी॰डी॰ए॰ में थी, जिसमें लोगों को काफी शिकायतें थीं, उसमें सुधार किया गया है। आई.सी.आर.ए. की रिपोर्ट आएगी, उसके साथ-साथ हमारे अपने दिमाग में भी डी.डी.ए. ने कुछ बातें रखी हैं, जिनको हम करेंगे। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद इन सब बातों पर चर्चा करके सुधार करेंगे।

जहां तक केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की बात है, तो केन्द सरकार उसमें जितना सुधार कर सकती है, उस बारे में चिंतित है। मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं 8 अक्तूबर को इस बारे में अपनी चिंता जाहिर की है और अभी जो आई.सी.आर.ए. की एक कमेटी बनी है, बहुत विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में अध्ययन करने के लिए जो कंसल्टेंसी ऐप्वाइंट की है, उसका विस्तार से इन्होंने टर्म्स आफ रिफरेंस भी दिया है। इससे पहले भी सुधार के लिए कई समितियां बनीं और उनकी जांच रिपोर्ट आई, लेकिन बाद के जो परिणाम हैं उनसे यह पता चलता है और निष्कर्ष यह है कि डी.डी.ए. ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपका कार्यान्वित करने वाला जो ढांचा है, उस ढांचे में जब तक व्यापक सुधार नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी

कार्यक्रम और जो सुधार के कार्यक्रम हैं, उनको लागू नहीं कर सकते। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका जो कार्यान्वित करने वाला ढांचा है, उस ढांचे को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आपने कोई रूप-रेखा तैयार की है, अगर तैयार की है तो उसका ब्यौरा क्या है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: सभापति जी, जैसा मैंने अभी बताया कि केन्द्र सरकार इस बारे में चिंतित है और स्वयं प्रधान मंत्री जी के स्तर पर इस बारे में चिंता जाहिर की गई है। यह स्वाभाविक है कि जो इसमें इनऐफिशिएंसी और करप्शन है, उसमें सुधार करने के लिए ये बातें की गई हैं। केन्द्र सरकार की इस बारे में पूरी कोशिश है और इसी के तहत आई. सी.आर.ए. बनाई गई है, जो कि एक बहुत योग्य संस्था है। इसके आधार पर जो निर्णय होंगे उनको कार्यान्वित करने की व्यवस्था की जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पिछली दफा भी जितने सुझाव आए थे, उनकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था है।

श्री लालू प्रसाद: सर, टाइम बहुत कम है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सन् 77 तक और उसके बाद भी जो माननीय सांसद होते थे, एम॰पी॰ हुआ करते थे, उनको डी.डी.ए. पैसा लेकर फ्लैट दिया करती थी, जबकि विगत दिनों में हम देख रहे हैं कि एमपी आते हैं, वे एक्स एमपी हो जाते हैं, लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिलता। बड़े-बड़े एमपीज़ के तो फार्म हाउसेज़ हैं, लेकिन जो गरीब एमपी आते हैं उनको कहीं भी, बाथरूम की बगल में भी जगह नहीं मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि डी.डी.ए. जो एमपीज़ से पैसा लेकर एक फ्लैट अलॉट करता था, उसको किस कारण से बंद किया गया जबकि कई एक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को आप प्लॉट देते रहे हैं? आपका क्या इरादा है?

श्री सभापति: बस इतना ही कहिए कि क्यों बंद किया गया।

श्री लालू प्रसाद:जो एमपीज़ हैं, उनसे पैसा लेकर, उनकी तनख्वाह से काटकर फ्लैट देने की आपके पास कोई योजना है या नहीं ताकि जो भी एमपी आए उसको आप जगह दें? एमपीज़ के साथ आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: माननीय सभापति जी, 1977 की योजना में किस समय और क्यों परिवर्तन हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ...(*व्यवधान*)... लालू जी; मुझे पूरा जवाब देने दीजिए। इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, मैं जानकारी ले लूंगा कि किस समय 1977 का कायदा बदली किया गया। लेकिन वर्तमान में यह है कि कोई भी आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ...(*व्यवधान*)...

श्री लालू प्रसाद: सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा? ...(*व्यवधान*)... पांच प्रतिशत का कोटा फिक्स हुआ है। पांच प्रतिशत आप सैनिकों को, स्वतंत्रता सैनानियों को देते हैं, आप इस तरह से करिए। सुप्रीम कोर्ट क्या आपको कहेगा कि दीजिए ही नहीं।

श्री सभापति: मंत्री जी, आप एक काम करिए, इसके ऊपर विचार करके जवाब दीजिएगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: आपने जो सुझाव दिया है, उस पर विचार कर लिया जाएगा। वर्तमान में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: हां, मैं कह रहा हूं कि विचार करके जवाब दीजिएगा।

श्री लालू प्रसाद: कई संगठनों को दे रहे हैं और एमपी के लिए नहीं?

श्री सभापति: मैंने मंत्री जी से कहा है न कि विचार करके जवाब दीजिएगा।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Mr. Chairman, Sir, the report is supposed to be submitted by August, 2003. I would like to know from the hon. Minister whether this organisation has asked for extension of time? If it has asked for extension of time, would the hon. Minister tell us whether all the controversial, non-transparent and partisan decisions taken by the DDA would be reviewed?

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI: The position about the report is that we have already received the draft. We have studied it. There is no question of any extension beyond August this year. Once the report comes — we also have our own ideas — all the recommendations will be looked into thoroughly and with the intention of increasing efficiency and eliminating corruption, all actions will be taken.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Exploitation of children

†*106. DR. PRABHA THAKUR: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that thousands of innocent children are being used for begging;

(b) whether Government are also aware that a number of children are compelled to beg at the age when they should be getting education; and

†Original notice of the question was received in Hindi.